



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-26 / 2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री कुनाल विश्वकर्मा, ग्राम-चेचरिया, पो0-मुरमा, थाना-पाण्डू, मुड़माकलां, जिला-पलामू उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू अनुपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।</p> <p>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत 50 कि०ग्रा० चावल उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के फलस्वरूप आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div data-bbox="363 907 662 1115" style="text-align: center;"><p> 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div data-bbox="890 907 1244 1131" style="text-align: center;"><p> 19/06/23 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div>	